

क्रमांक / स्था.3 / सी-2 / अं.जि.स्था. / 24 / 2011 / 1135  
/ आदेश /


भोपाल, दिनांक 07 / 06 / 2011

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था / जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सुलोचना माण्डवे, प्रधानाध्यापक	AS 7156	शा.क.प्राथ.वि.जिला नीमच	23180714301	जबलपुर
2.	श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, सहायक शिक्षक	BG 6427	शा.मा.वि.असवार संकुल शा.उमावि असवार जिला भिण्ड	23030505703	श्यापुर
3	श्री गणेश कुमार धुवे, सहायक शिक्षक	AE 9184	शा.प्राथ.शाला बोदी जूनावानी संकुल बोरगाँव जिला बैतूल	23350314701	होशंगाबाद
4	श्रीमती प्रभा साकले, सहायक शिक्षिका	AN 9520	शा.प्राथ.शाला खैराबड़ा वि. खं.छैगांवमाखन जि.खण्डवा	23290307101	इन्दौर
5	श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक शिक्षक	AN 2905	शा.प्राथ.शाला मोहनियां रामपाटन जि.कटनी	23380113901	जबलपुर
6	श्री रूप सिंह अलावा, प्रधानाध्यापक	BI 6847	शा.मा.वि.खारुकला जिला रतलाम	23200111005	इन्दौर
7	श्री मोहन लाल साहू, सहायक शिक्षक	AV 1181	शा.प्राथ.वि. हरिपुरा जिला राजगढ़	23300512601	गुना
8	श्री संजय शर्मा, सहायक शिक्षक	AM 2239	शा.प्राथ.शाला बोरतलाई जिला होशंगाबाद	23370310401	भोपाल
9	श्रीमती सरिता दोंदरिया, उ.श्रे.शि.	AT 4493	शा.कन्या उमावि मण्डीदीप जिला रायसेन	23340577710	भोपाल
10	श्रीमती कृष्णा अग्रवाल, सहायक शिक्षिका	AC 3702	शा.कन्या प्राथमिक विद्यालय ईसागढ़ जि. अशोक नगर	23460714302	राजगढ़
11	श्री सुमन्त सिंह पंदर, सहायक शिक्षक	AQ 5997	शा.प्राथ.वि.भरड़ावद जिला मंदसौर	23190607501	नीमच
12	श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता, सहायक शिक्षक	AK 1477	शा.प्राथ.वि.बरखेड़ा हाट जिला गुना	23070102701	श्यापुर
13	श्रीमती प्रियंका धनोड़कर, प्रधान पाठक	AM 5526	शा.मा.शाला क्रं.1 बड़वाह जिला खरगौन	23271308617	उज्जैन
14	श्रीमती रजनी गुप्ता, उ.श्रे.शि.	BP 4070	शा.उमावि डबलचौकी जिला देवास	23230177708	इन्दौर
15	श्री सुनील कुमार जैन, प्रधानाध्यापक	AT 8825	शा.मा.शा.सायर संकुलशा. उमावि खामखेड़ा जि.विदिशा	23310702902	भोपाल

16	श्रीमती मनीषा द्विवेदी, सहायक शिक्षिका	AW 6179	शा.मा.वि.मार्तण्ड क्रं.1 जिला रीवा	23140126703	सिंगरौली
17	श्रीमती अर्चना शर्मा, सहायक शिक्षिका	AK 3716	शा.प्राथ.वि.बालक नवीन शाला जि.गुना	23070618551	ग्वालियर
18	श्री. ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक	AK 1700	बी.आर.सी.चाचौड़ा जिला गुना	2307060DS03	ग्वालियर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संवालयनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.24 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

  
 आयुक्त 7.6.11  
 लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./24 /2011/ 1136

भोपाल,दिनांक 07/06/2011

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला- नीमच, जबलपुर, भिण्ड, श्योपुर, बैतूल, होशंगाबाद, खण्डवा, इन्दौर, कटनी, रतलाम, राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन,अशोकनगर,मंदसौर,नीमच, खरगौन, उज्जैन,विदिशा, देवास, रीवा,सिंगरौली, एवं ग्वालियर म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- नीमच,जबलपुर,भिण्ड, श्योपुर, बैतूल, होशंगाबाद, खण्डवा, इन्दौर, कटनी, रतलाम, राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन,अशोकनगर, मंदसौर, खरगौन, उज्जैन, विदिशा, देवास, रीवा,सिंगरौली, एवं ग्वालियर म.प्र.।
8. समस्त संभागीय सयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- नीमच,जबलपुर,भिण्ड, श्योपुर, बैतूल, होशंगाबाद, खण्डवा, इन्दौर, कटनी, रतलाम, राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन,अशोकनगर, मंदसौर, खरगौन, उज्जैन,विदिशा, देवास, रीवा,सिंगरौली, एवं ग्वालियर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

10 सहायक संचालक,समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

-----की ओर सूचनार्थ एवं भालनार्थ।



आयुक्त

लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश